

महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सिफारिश करेगा :

- (1) अनाजों और दालों का परिष्करण
- (2) ग्रामीण घानी तेल
- (3) ग्रामीण चमड़ा
- (4) कुटीर दियासलाई
- (5) गन्ना, गुड़ और खांडसारी
- (6) अखाद्य तेल और साबुन
- (7) ग्रामीण कुम्हारी
- (8) बड़ईगिरी और लुहारों तथा
- (9) गोबर गैस

इन कार्यकारी दलों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है । इन योजनाओं को 1978-79 से पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

सऊदी अरब से बिजली घर बनाने के लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को ठेका मिलना

2976. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को सऊदी अरब से बिजली घर बनाने के लिए कोई ठेका मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा यह ठेका बाम्बे सबर्बन कम्पनी को उप-ठेके के रूप में दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) :
(क) जी, हां ।

(ख) परियोजना में एक 42 से० वा० का डीजल विद्युत् केन्द्र, 4 अंतरंग उप-केन्द्र, 33 के० वी० की लगभग 180 किलोमीटर लम्बी ऊपरी ट्रांसमिशन लाइन और 13.8 के०वी०/220 वोल्ट्स की लगभग 400 किलोमीटर लम्बी ऊपरी लाइन और सहबद्ध सिविल कार्य के साथ केबल-वितरण कार्य सम्मिलित है । परियोजना से अन्ततोगत्वा जिजान में और इसके आसपास के 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विद्युतीकरण हो जायेगा ।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बाम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड को ट्रांसमिशन और वितरण कार्य का उप-ठेका दिया है ।

(घ) बी०एच०ई०एल० द्वारा ट्रांसमिशन और वितरण केन्द्रों का अधिष्ठापन नहीं किया जाता है । अतः उन्हें इस काम का उप-ठेका बाम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड को देना पड़ा, जिन्हें कि इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है । उप-ठेका एक निविदा के आधार पर दिया गया था ।

Loss due to Censorship Restrictions

2977. SHRI C. VENUGOPAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many good foreign films to be screened in India are kept in cold storage because of excessive censorship restrictions;

(b) the loss to Indian revenues as a result thereof; and

(c) whether Government propose to relax such censorship restrictions?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) All films, whether

Indian or foreign, are subjected to the provisions of the Cinematograph Act, 1952, and the Cinematograph Censorship Rules and Directions issued thereunder. No excessive censorship restrictions are imposed on foreign films.

(b) and (c). Do not arise.

एल्युमिनियम के बर्तन बनाने वाली फर्मों के नाम

2978. श्रीमती चन्द्रावती : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्युमिनियम के बर्तन किन-किन स्थानों पर बनाए जाते हैं और इन्हें कौन-कौन सी फर्म बनाती हैं ;

(ख) क्या ये फर्म अपने बर्तनों को भारतीय मानक संस्था से मंजूर करवाती हैं ; और

(ग) क्या ये फर्म बर्तन रसोई में इस्तेमाल के उपयुक्त हैं और आग पर रखने से पिघलते नहीं हैं और क्या खाना पकावे में उनका इस्तेमाल हानिकारक है और यदि हां, तो खाना पकाने के लिए उनका इस्तेमाल करने की इजाजत देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) :

(क) देश भर के भिन्न-भिन्न स्थानों में एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। लघु क्षेत्र के एककों की संख्या सहित जिलों की एक सूची (विवरण 'क') सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—1294 77] चूँकि देश में (1972 की जनगणना के अनुसार) 800 से अधिक एल्युमिनियम के बर्तन बनाने वाले लघु एकक हैं, इसलिए उनकी सूची जिलों में एककों की संख्या के अनुसार तैयार की गई है।

(ख) एल्युमिनियम के बर्तन बनाने वाली लघु क्षेत्र की सभी फर्म भारतीय मानक

संस्था से उनके प्रमाणीकरण चिह्नंकन योजना के अधीन अपने उत्पादों को प्रमाणित नहीं कराती हैं। आई०एस०आई० की प्रमाणीकरण योजना के अधीन एककों का एक और सूची (विवरण 'ख') सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—1294 77]

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमावली 45(5) के अधीन आई० एस० आई० विशिष्ट 21-1959 के अनुरूप अल्युमिनियम से बनाये गये डिब्बों की रसोई घर में उपयोग करने के लिए अनुमति दी जाती है।

फिर भी अभी तक एल्युमिनियम के बर्तनों में पकाये गये भोजन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा रुग्ण मिलों का अधिग्रहण

2979. श्री सुभाष ग्राहजा :

श्री यज्ञवल्क शर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा कुल कितनी मिलों का अधिग्रहण किया गया है और उनमें से ऐसी कितनी रुग्ण मिलें हैं जो विगत में बन्द पड़ी हुई थीं ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन मिलों में मोटे, फाइन तथा सुपर फाइन कपड़े का उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) :

(क) 1974 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा